

प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
8वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय ,
लखनऊ ।

लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2012

विषय: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाराणसी शहर में अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि शासनादेश संख्या-865/9-9-2012-101ज/09 दिनांक 27-08-2012, द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 13 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी शहर में अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवाओं के उन्नयन के सम्बन्ध में वर्ष 2011-15 हेतु संस्तुत रूपये-2000.00 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-22-एफएस((टी)-208-2011 दिनांक23.11.11 द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि रूपये-455.72 लाख (रूपये चार करोड़ पचपन लाख बहतर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये-455.72 लाख (रूपये चार करोड़ पचपन लाख बहतर हजार मात्र) की धनराशि अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0स0 | मद | प्रस्तावित लागत | प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि |
|--------|--|-----------------|---|
| 1 | सिविल सम्बन्धी कार्य | 372.13 | 329.97 |
| 2 | अग्निशमन हेतु इक्यूपमेन्ट/वाहनों का क्रय | 125.75 | 125.75 |
| | योग:- | 497.88 | 455.72 |

- 1- स्वीकृत अनुदान का उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(9)एफसीडी/2010 दिनांक 26.04.2011(छायाप्रति संलग्न) की गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा ।
- 2- वाहन/उपकरणों का क्रय डी.जी.एण्ड एस.एन.डी के अनुसार किया जायेगा ।
- 3- स्वीकृत धनराशि का आहरण अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा । स्वीकृत की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी ।
- 4- स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पीएलए व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा । धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा धनराशि की आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय / शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- 6- टेण्डर की कार्यवाही कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों हेतु ही नियमानुसार ही किया जायेगा ।
- 7- इस अनुदान के लेखों का रख रखाव नियमानुसार संबंधित निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 एवं कार्यदायी इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के द्वारा की जायेगी ।

- 8- 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जायेगे । लेखों का रख रखाव तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा । तत्संबंधी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 9- विशेष पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त है । इसलिए कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त किसी भी दशा में अन्य कार्य नहीं कराये जायेगे । परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय ।
- 10- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व निकाय/कार्यादारी संस्था तथा जिलाधिकारी को होगा । धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा ।
- 11- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-04-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन -0401-वाराणसी की अवसंरचना सुधार -35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा”

भवदीया,

(कु0 रेखा गुप्ता)

निदेशक ।

मुल्ला

30/9/12

संख्या एवं दिनांक:तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1- प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), ३०प्र० इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ३०प्र० इलाहाबाद ।
 - 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखापरीक्षा एवं लेखा), ३०प्र० इलाहाबाद ।
 - 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन ।
 - 4- विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-९, ३०प्र० शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-865/९-९-२०१२-१०१ज/०९ दिनोंक २७-०८-२०१२ के अनुपालन में ।
 - 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र० इलाहाबाद ।
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन, लखनऊ ।
 - 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२, ३०प्र० शासन ।
 - 8- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, ३०प्र० शासन ।
 - 9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, ३०प्र० शासन ।
 - 10- नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी को शासनादेश संख्या-865/९-९-२०१२-१०१ज/०९ दिनोंक २७-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
 - 11- जिलाधिकारी वाराणसी को शासनादेश संख्या-865/९-९-२०१२-१०१ज/०९ दिनोंक २७-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
 - 12- कोषाधिकारी वाराणसी को शासनादेश संख्या-865/९-९-२०१२-१०१ज/०९ दिनोंक २७-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित ।
 - 13- गार्ड फाइल हेतु /बेबसाइड हेतु ।

(एस०डी०मौर्य)
वित्त नियंत्रक ।

प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
८वां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक ,
जल निगम, लखनऊ ।

लखनऊः दिनांक ३० अगस्त, २०१२

विषयः तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाराणसी शहर के सिस वरुणा क्षेत्र में सीवर लाइन विछाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि शासनादेश संख्या-५४४/९-९-२०१२-१०१ज/०९ दीसी दिनांक १६-०८-२०१२, द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में १३ वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी शहर के सिस वरुणा क्षेत्र में सीवर लाइन विछाने के सम्बन्ध में वर्ष 2011-15 हेतु संस्तुत रूपये 6000.00 लाख के सापेक्ष जल निगम इलाहाबाद के पत्रांक-३७२९ गंगा प्रदूषण दिनांक 28.10.10 द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनतर्गत वर्ष 2011-15 (चार वर्षों हेतु) की कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित धनराशि रूपये-५१८७.६० के सापेक्ष वर्ष 2011-12 की कार्य योजना हेतु धनराशि रूपये-१५००.०० लाख (रुपया पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

- 1- स्वीकृत अनुदान का उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.11(९)एफसीडी/२०१० दिनांक 26.04.2011(छायाप्रति संलग्न) की गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा ।
- 2- स्वीकृत धनराशि का आहरण जल निगम द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा । स्वीकृत की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी ।
- 3- स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पीएलए व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा । धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।
- 4- जल निगम द्वारा धनराशि की आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय / शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- 5- टेण्डर की कार्यवाही कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों हेतु ही नियमानुसार ही किया जायेगा ।
- 6- इस अनुदान के लेखों का रख रखाव नियमानुसार संबंधित निकाय/ जल निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० के द्वारा की जायेगी ।
- 7- 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्क्रीनों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जायेगे । लेखों का रख रखाव तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा । तत्संबंधी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 8- जल निगम द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त है । इसलिए कार्य योजना में उल्लिखित कार्यों के अतिरिक्त किसी भी दशा में अन्य कार्य नहीं कराये जायेगे । परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय ।

- 9- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था तथा जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।
- 10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक “4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-191-नगर निगमों को सहायता-04-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन -0401-वाराणसी की अवसंरचना सुधार -35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा”

भवदीया,

(कु0 रेखा गुजा)

निदेशक।

30/7/12 ✓

संख्या एवं दिनांक:तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च), ३०प्र० इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखापरीक्षा एवं लेखा), ३०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन।
- 4- विशेष सचिव नगर विकास अनुभाग-९, ३०प्र० शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-५४४/९-९-२०१२-१०१ ज/०९ टीसी दिनांक १६-०८-२०१२ के अनुपालन में।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२, ३०प्र० शासन।
- 8- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
- 9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
- 10- नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी को शासनादेश संख्या-५४४/९-९-२०१२-१०१ज/०९ टीसी दिनांक १६-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित।
- 11- मण्डलायुक्त वाराणसी को शासनादेश संख्या-५४४/९-९-२०१२-१०१ज/०९ टीसी दिनांक १६-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित।
- 12- जिलाधिकारी वाराणसी को शासनादेश संख्या-५४४/९-९-२०१२-१०१ज/०९ टीसी दिनांक १६-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित।
- 13- कोषाधिकारी, वाराणसी को शासनादेश संख्या-५४४/९-९-२०१२-१०१ज/०९ टीसी दिनांक १६-०८-२०१२ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या-एफ.११(९)एफसीडी/२०१० दिनांक २६.०४.२०११ की गाइडलाइन्स की प्रति सहित।
- 14- गार्ड फाइल हेतु /बेबसाइड हेतु।

(एस०डी०मौर्य)

वित्त नियंत्रक।